



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिणियत प्रदेश)

लखनऊ, बुधवार, 26 अगस्त, 1998

भाद्रपद 4, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या-1305/64-1-98-70/96

लखनऊ, 26 अगस्त, 1998

अधिसूचना

प० घा०-479

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) प्रारक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 13 के अर्थों में शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

1-उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में, प्रविष्टि 67 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

68-छापी

69-तंबूर सिपाही

आशा से,

आर० बी० भास्कर,

प्रमुख सचिव।

2
बिहार प्रवेश असाधारण मजदूरी, 26 अगस्त, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1305/LXIV-1-98-70-96, dated August 26, 1998.

No. 1305/LXVI-1-98-70-96

Dated Lucknow, August 26, 1998

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U. P. Act no. 4 of 1994) the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule 1 of the aforesaid Act:—

AMENDMENT

1. In Schedule 1 of the aforesaid Act after entry 67, the following entries shall be inserted, namely:—

68—KHAGI

69—TANWAR SINGHARIA

By order,
R. B. BHASKAR,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 1305 (1)/64-1-98-70-96
लखनऊ, 26 अगस्त, 1998

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रारक्षण) अधिनियम, 1994 (उ० प्र० अधिनियम संख्या-4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-1305/64-1-98-70-96, दिनांक 26 अगस्त, 1998 की प्रति निम्नलिखित को सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन ।
- 2—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र० ।
- 4—प्रमुख सचिव, महानिहित श्री राज्यपाल, उ० प्र० ।
- 5—राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी उ० प्र० ।
- 6—प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केंद्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निबंधक ।
- 7—निर्देशक, उ० प्र० सहकारी समितियों, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 8—समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ० प्र० ।
- 9—समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान, उ० प्र० ।
- 10—निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 11—निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, उ० प्र० ।
- 12—समस्त अध्यक्ष जिला परिषद/नगर निगम/नगर पालिका/ठाउन एरिया, उ० प्र० ।
- 13—निबंधक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- 14—निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 15—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ० प्र० ।
- 16—सचिव लोक सेवा आयोग, उ० प्र० इलाहाबाद ।
- 17—सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ० प्र० लखनऊ ।
- 18—निदेशक, उ० प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- 19—प्रमुख सचिव, मा० मन्त्रिमन्त्री, उ० प्र० शासन ।
- 20—समस्त निजी सचिव, मा० मन्त्रीगण, उ० प्र० शासन ।
- 21—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 22—संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐयब्राय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि ऊपर्युक्त अधिसूचना को वसंघाटन विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) पर नियम आदेश व अधिसूचना में बिधे गये दिनांक के अनुसार प्रकाशन की तिथि निश्चित करते हुए पृष्ठांकन सहित अधिसूचना की 2000-2000 प्रतिर्पत्र संलग्न कराकर शासन की तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

आज्ञा से;

हीरामणि सिंह यादव,
विशेष सचिव ।